



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1918]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 5, 2011/आश्विन 13, 1933

No. 1918]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 5, 2011/ASVINA 13, 1933

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 2011

का.आ. 2308(अ).—यतः, मै. ओवल डेवेलपर्स प्राईवेट लिमिटेड ने पश्चिम बंगाल राज्य में मौजा बनग्राम एवं सरमास्टर चौक, जिला 24 परगना (दक्षिण) में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदयश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 22 नवम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1977(अ) में 11.78 हेक्टेयर के क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित किया;

और यतः, मै. ओवल डेवेलपर्स प्राईवेट लिमिटेड ने सम्पूर्ण 11.78 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है और केन्द्र सरकार ने उक्त प्रस्ताव पर विचार करके उसे दिनांक 8 अगस्त, 2011 को अनुमोदित कर दिया है और अपनी सहमति से अवगत करा दिया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 की धारा 1 के अनुसरण में केन्द्र सरकार उपरोक्त अधिसूचना को निरस्त करती है। सिवाय उन चीजों के जो ऐसे निरसन के पूर्व कारित की गई हैं या कारित किए जाने से निवारित की गई हैं।

[फा. सं. एफ. 2/89/2006-एसईजेड]

अनुप वधावन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 2011

S.O. 2308(E).—Whereas, M/s. Oval Developers Private Limited had proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for electronic hardware and software at Mouza-Banagram and Sarmasterchowk, District South 24 Parganas (South) in the State of West Bengal;

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules, 2006, had notified an area of 11.78 hectares at above location as Special Economic Zone *vide* Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 1977(E), dated 22nd November, 2007;

And, whereas, M/s. Oval Developers Private Limited has proposed to denotify the entire area of 11.78 hectares of the above Special Economic Zone and the Central Government has granted letter of approval for denotification of above area on 8th August, 2011;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F. 2/89/2006-SEZ]

ANUP WADHAWAN, Jt. Secy.